

BO

Date 06/09 2016

(Dei Jing Branch)

Please Credit*	S B	C D	O D	C C	R D	L N	D B D	M I C	S D R	F D R
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------

Name: पिना बाल-अभिषेक पुनवर्तिन-सद-कलकत्ता

A/C No.	4	8	4	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Details of Cheques (For Cash deposit please enter total only)

Bank	Cheque No.	Amount
	1000 x 8	8000
	500 x 20	10000
	100 x 20	2000
	TOTAL	20000

Rupees वर्ष हजार मात्र Only

Receipt By

Cheque(s) Subject to Realisation

92

मेरे मित्र

अम प्रवर्तन पदाधिकारी
उजियारपुर प्रभारी दसनपुर

विषय:- आपके कार्य द्वारा संख्या 112/23.8.16
द्वारा 20.000/- वार्षिक पुर्नवास कोष में
जमा करने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय संबंध में दिनांक 6.9.2016 को
आपके द्वारा संख्या के आलोक में वार्षिक
पुर्नवास कल्याण कोष के द्वारा संख्या 112/23.8.16
में 20.000 रुपया जमा कर दी गई है

आपका विश्वस्त

अम कुमार यादव

दसनपुर-भीनीमिल-

सावलीपुर बिहार

(20242525)

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

श्रम अधीक्षक का कार्यालय समस्तीपुर

ज्ञाप संख्या 112

दिनांक 23.08.2016

सेवा में,

श्री श्याम कुमार साह पिता राजेंद्र साह

नियोजक मुख्य कचड़ी इकाई

चीनी मिल चौक - फस स्टेशन - हसनपुर - पोषाणा - हसनपुर जिला - समस्तीपुर

स्थानोपना - चीनी मिल चौक, प्रमिपन फौजिस इकाई में वर्डिन-10-1 पोषाणा हसनपुर जिला - समस्तीपुर

विषय :- बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के साथ पठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका, एम. सी. मेहता बनाम तामिलनाडु सरकार में दिनांक 10.12.1996 में दिये निर्णयानुसार प्रतिबंधित नियोजनों में बाल श्रमिक पाये जाने के फलस्वरूप रु0 20,000/- (रुपये बीस हजार) बतौर मुआवजा जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करने के संबंध में।

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19-08-2016 को 11/9/16 12:12 PM बजे

पूर्वाहन/अपराहन में आपके प्रतिष्ठान/आवास का निरीक्षण बाल श्रम (प्र0 एवं वि0) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत किया गया। निरीक्षण के समय आपके प्रतिष्ठान/आवास में बाल श्रमिक श्री पदार्थ कुमार

पिता श्री श्याम कुमार साह निवासी हसनपुर चीनी मिल चौक पोषाणा - हसनपुर जिला - समस्तीपुर

उम्र 12 वर्ष नियोजित पाया गया 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे को नियोजित किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 24 एवं बाल श्रम (प्र0 एवं वि0) अधिनियम, 1986 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है।

रिट याचिका संख्या-465/1986 एम. सी. मेहता बनाम तामिलनाडु सरकार में दिनांक- 10.12.1996 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार दोषी नियोजक को प्रति बाल श्रमिक रुपये 20,000/- तौर मुआवजा जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करना है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन 20,000 = 10 (दस हजार) रुपये जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण प. समस्तीपुर के पदनाम से देय बैंक ड्राफ्ट / बैंक चेक दिनांक 30/8/2016 तक 21/9/16 कोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करें।

निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत निदेशित मुआवजा राशि जमा नहीं किये जाने पर उक्त राशि की वसूली बु बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकभरी ऐक्ट के अन्तर्गत सर्टिफिकेट की कार्रवाई की जायेगी।

इसे ताकीद जाने।

23/8/16

उप-श्रमायुक्त/सहायक-श्रमायुक्त/
श्रम अधीक्षक/श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं